कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़।

विज्ञापन संख्या :...261.................. दिनांक..07/03/2018..

—: अल्पकालीन निविदा :—

स्वा० विभाग, रामगढ़ जिलांतर्गत सभी स्वा० संस्थानों के लिये आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु ख्याति प्राप्त आउटसोर्सिंग एजेंसियों / कंपनी से निम्नांकित अर्हताएं एवं शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा हेतु अनिवार्य अर्हताएं :

01	एजेंसी का पूरा नाम एवं पता
02	एजेंसी का स्थानीय पता, दूरभाष संख्या एवं E-mail Address
03	एजेंसी को विगत वित्तीय वर्ष 2014–15, में 15000000/–, (एक करोड़ पचास लाख) रूपये, वर्ष 2015–16 में 15000000/– (एक करोड़ पचास लाख) रूपये, एवं वर्ष 2016–17 में 15000000/–(एक करोड़ पचास लाख) रूपये का न्यूनतम टर्न ओभर (कारोबार), जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष का चार्टड एकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित किया गया प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा को अयोग्य माना जायेगा।
04	एजेंसी को भविष्य निधि कोड संख्या (EPF) का प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा।
05	एजेंसी को कर्मचारी राज्य बीमा संख्या (ESI) का प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा।
06	एजेंसी को ISO, 9001:2008/9001:2015 का निबंधन संख्या प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा।
07	एजेंसी को PSRA Act 2005 का निबंधन संख्या प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा।
08	एजेंसी को मजदूर अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति (Labour Licence) की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा।
09	एजेंसी किसी भी जिला स्तर पर काली सूची में दर्ज नहीं है से संबंधित शपथ पत्र जो कार्यपालक दण्डाधिकारी (Excutive Magistrate) के समक्ष का निर्गत किया हुआ मूल प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा। **(नोटः– यह शपथ पत्र नवम्बर 2017 से अथवा इसके बाद का निर्गत किया हुआ मान्य होगा)**
10	निविदादाता को अग्रधन के रूप में 100000/– (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन, रामगढ़ के पदनाम से देय हो एवं रामगढ़ में भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा।
11	एजेंसी को वित्तीय वर्ष 2016–17 यानि– कर निर्धारण वर्ष 2017–18 का दाखिल आयकर रिटर्न की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा।
12	GST अधिनियम के तहत एजेंसी को निबंधित होना अनिवार्य है एवं निबंधित अभिप्रमाणित छायपति संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा।
13	एजेंसी को कार्यपालक दण्डाधिकारी (Excutive Magistrate) के समक्ष का शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि (01). एजेंसी किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त नहीं करेंगे (02). एजेंसी अपने कर्मियों का उपस्थिति विवरणीनुसार प्रत्येक माह का मानदेय राशि का भुगतान स्वयं अपने स्तर से करेंगे (03). एजेंसी द्वारा कर्मियों को भुगतायी गई राशि के विरूद्ध भुगतान प्राप्ति हेतु विपत्र तैयार कर सिविल सर्जन, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तत्पश्चात विभाग से आवंटन उपलब्ध रहने पर सिविल सर्जन विपत्र की राशि का प्रतिपूर्ति करेंगे। इस आंश्य का शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा। **नोट :– उपरोक्त तथ्य के अनुसार ही शपथ पत्र मान्य होगा।**
14	संस्था के प्रमुख, (प्रोपराईटर अथवा डायरेक्टर) का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र जो उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा। नोट :– किसी भी परिस्थिति में अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।
15	एजेंसी को किसी भी संस्थान में न्यूनतम 02 वर्षों का एवं सरकारी अस्पताल में न्यूनतम 03 वर्षों का कार्य अनुभव **(अवधि कब से कब तक का है स्पष्ट अंकित होना चाहिये)** प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अयोग्य माना जायेगा। **नोट :– किसी भी परिस्थिति में किसी संस्थान का कार्यादेश (Work Order) मान्य नहीं होगा।**
16	नोटरी/मजिस्ट्रेट के समक्ष का शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि निविदा में दी गई सभी सूचनाऐं सही है एवं भविष्य में गलत पाये जाने पर वैद्यानिक कार्रवाई की जा सकती है।

07.03.18

सिविल सर्जन,
रामगढ़।
07/3

शर्तें :–

01	प्राप्त अल्पकालीन निविदा असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में दिनांक 06.04.2018 को अपराहन् 02:00 बजे खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
02	प्राप्त निविदा को चयन समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनिकी भाग–1 खोला जायेगा, तत्पश्चात तकनिकी भाग में सफल एजेंसियों का ही वित्तीय भाग–2 खोला जायेगा।
03	निविदा को आंशिक / पूर्ण रूप से किसी भी समय निरस्त करने एवं किसी भी निर्णय का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
04	असफल / अस्वीकृत निविदादाता को बिना ब्याज के अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी। सफल निवदादाता यदि कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक सभी औपचारिकताऐं पूरी करके कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं तो निर्गत आदेश रद्द किया जा सकता है तथा अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है।
05	अनुबंध की अवधि 01 वर्ष की होगी, जिसकी गणना कार्य प्रारंभ होने की तिथि से की जायेगी। कार्य की समीक्षा के पश्चात संतोषजनक Performance पाये जाने पर समिति द्वारा कार्य विस्तारित किया जा सकता है अथवा विभाग द्वारा निर्गत कोई आदेश / निर्णय के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।
06	तकनिकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 100000 / – (एक लाख) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन, रामगढ़ के पदनाम से हो, संलग्न करना होगा।
07	एजेंसी के द्वारा ड्यूटी पर लगाये गये कर्मियों का सभी साजो–समान यथा– वर्दी, बूट, कैप, इत्यादि से लैश रहना होगा, साथ ही सभी के लिये फाटोयुक्त पहचान पत्र रखना तथा चेस्ट पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।
08	सफल एजेंसी के साथ किसी भी प्रकार का स्वामी एवं सेवक का संबंध स्थापित नहीं होगा। एजेंसी अपने सभी कर्मियों का शैक्षणिक योग्यता / तकनिकी योग्यता, पासपोर्ट साईज फोटो, मतदाता सूची प्रमाण पत्र, पैंन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक खाता की अभिप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
09	निविदादाता को तकनिकी भाग में सभी वांछित आवश्यक कागजात अभिप्रमाणित पृष्ठांकित कर अलग बंद लिफाफा में तथा वित्तीय भाग में वांछित कम्प्यूटरीकृत दर अलग बंद लिफाफा में तत्पश्चात दोनों तकनिकी एवं वित्तीय भाग को एक लिफाफा में सील बंद स्वीकार्य होगा।
10	किसी भी परिस्थिति में वित्तीय भाग में Cutting or Overwriting मान्य नहीं होगा।
11	एजेंसी को वित्तीय भाग में मजदूर अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी दर, EPF, ESI का निर्धारित दर से कम राशि डाले जाने पर निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
12	निविदादाता द्वारा वित्तीय भाग में Service Charge शुन्य डाले जाने पर निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
13	सफल एजेंसी को अस्पताल के रोस्टर अनुसार अपने कर्मियों को ड्यूटी में लगायेंगे।
14	निविदादाता के द्वारा तकनीकि निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का चेकलिस्ट (विवरणी) पेज नंबर अंकित कर सूची संलग्न करना होगा ताकि पेज नंबर वाईज अभिलेखों का स्क्रूटनी किया जा सके।
15	निविदादाता को उक्त सभी अहर्ताऐं पूरी करनी होगी, अन्यथा उनकी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
16	बिना कारण बताये किसी भी निविदा या पूरी निविदा को रद्द करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
17	इस निविदा से संबधित किसी भी कानूनी कार्रवाई का न्यायिक क्षेत्र रामगढ़ होगा।

261
07/03/2018

07.03.18

सिविल सर्जन, रामगढ़।
07/3